

संख्या : 12011/01/2014-रा.भा.(का0-2)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

* * *

बी विंग, चतुर्थ तल, एन.डी.सी.सी.-2 भवन, जय सिंह रोड,
नई दिल्ली-110001, दिनांक 02 सितंबर, 2014

कार्यालय जापन

विषय :- राजभाषा हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए पुरस्कार योजना-वर्ष 2013

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए चलाई जा रही निम्नलिखित पुरस्कार योजनाओं के लिए 01.01.2013 से 31.12.2013 के दौरान प्रकाशित पुस्तकें आमंत्रित हैं।

1. इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना

पात्रता/शर्तें :

- (i) पुस्तक के लेखक केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/उनके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों/वित्तीय संस्थानों तथा केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन स्वायत्त संस्थाओं/केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/प्रशिक्षण संस्थानों के सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी हों।
- (ii) लेखक अपनी प्रविष्टि अपने विभाग/पूर्व विभाग के अध्यक्ष द्वारा सत्यापन तथा संस्तुति के साथ इस विभाग को भेजें।

पुरस्कार :

इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे :-

प्रथम पुरस्कार	-	₹ 60,000, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
द्वितीय पुरस्कार	-	₹ 45,000, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
तृतीय पुरस्कार	-	₹ 30,000, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
प्रोत्साहन पुरस्कार	-	₹ 15,000, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न

2. राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान पुरस्कार योजना

विषय : पुस्तक आधुनिक तकनीकी/विज्ञान की किसी विधा अथवा समसामयिक विषय पर लिखी हो सकती है। उदाहरणार्थ :-

- (i). इंजीनियरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, भौतिकी, जैव विज्ञान, ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान, आयुर्विज्ञान, रसायन विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, मनोविज्ञान आदि।
- (ii). समसामयिक विषय जैसे उदारीकरण, भूमंडलीकरण, उपभोक्तावाद, मानवाधिकार, प्रदूषण नियंत्रण आदि।

पात्रता : भारत का कोई भी नागरिक इस पुरस्कार योजना में भाग ले सकता है।

पुरस्कार :

प्रथम पुरस्कार (एक)	-	₹ 2,00,000, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
द्वितीय पुरस्कार (एक)	-	₹ 1,25,000, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
तृतीय पुरस्कार (एक)	-	₹ 75,000, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
प्रोत्साहन पुरस्कार (दस)	-	₹ 10,000 प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न प्रत्येक को

3. उपर्युक्त दोनों योजनाओं के लिए सामान्य शर्तें :

- (i) प्रविष्टि उपर्युक्त पुरस्कार योजनाओं में से केवल एक योजना के लिए ही भेजी जा सकती है। पुस्तक के एक से अधिक लेखक होने की स्थिति में प्रत्येक सहलेखक द्वारा अलग-अलग प्रोफार्मा भरा जाए।
- (ii) योजना के अंतर्गत पुरस्कार के लिए वे पुस्तकें ही स्वीकार्य हैं जो लेखक की हिंदी में मौलिक रचना हों। अनूदित पुस्तकें स्वीकार्य नहीं हैं।
- (iii) किसी भी सरकारी संगठन द्वारा पूर्व में पुरस्कृत पुस्तकें पात्र नहीं होंगी। ऊपरविषयक योजनाओं के अंतर्गत पुरस्कारों की घोषणा से पहले यदि पुस्तक को अन्य किसी पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किया जाता है तो इसकी सूचना लेखक द्वारा तत्काल राजभाषा विभाग को दी जाए।
- (iv) योजना के अंतर्गत 01.01.2013 से 31.12.2013 के दौरान प्रकाशित पुस्तकें स्वीकार्य हैं।
- (v) पुस्तक विषय के बारे में समीक्षात्मक विश्लेषणयुक्त होनी चाहिए। पीएच.डी. के लिए लिखे गए शोध, कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक आदि के रूप में लिखी गई या पाठ्य पुस्तक के रूप में लिखी गई पुस्तक पात्र नहीं होगी।
- (vi) लेखक पुस्तक में दिए गए आंकड़ों एवं तथ्यों के लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे और उनके प्रमाण में जहां तक संभव हो, संदर्भ देंगे।
- (vii) यदि किसी व्यक्ति को योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में कोई पुरस्कार मिल चुका हो तो उसकी प्रविष्टि विचारणीय नहीं होगी। तथापि, सहलेखक(यदि कोई हो) योजना में भाग ले सकता है।
- (viii) पुस्तक कम से कम 100 पृष्ठों की हो।
- (ix) यदि मूल्यांकन समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रविष्टि पुस्तकों में से कोई भी पुस्तक किसी भी पुरस्कार के योग्य नहीं है तो इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम माना जाएगा।
- (x) यदि पुरस्कार के लिए चुनी गई पुस्तक के लेखक एक से अधिक होंगे, तो पुरस्कार की राशि उनमें बराबर-बराबर बांट दी जाएगी।

4. प्रविष्टि भेजने की विधि :

- (i) प्रविष्टियां अनुलग्नक में दिए गए प्रपत्र के साथ भेजी जाएं अन्यथा उन्हें स्वीकार करना संभव नहीं होगा।

- (ii) कृपया प्रत्येक प्रविष्टि के साथ पुस्तक की तीन प्रतियां भेजें। पुस्तकें वापिस नहीं की जा सकेंगी।
- (iii) एक लेखक एक योजना में केवल एक ही प्रविष्टि भेज सकता है।
- (iv). प्रविष्टियां 31 दिसंबर, 2014 तक राजभाषा विभाग में पहुँच जानी चाहिए। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. पुस्तकों की मूल्यांकन प्रक्रिया :

पुस्तकों का मूल्यांकन राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर लब्ध-प्रतिष्ठित विद्वानों/विशेषज्ञों की समिति द्वारा किया जाएगा।

6. पुरस्कार के बारे में घोषणा और पुरस्कार वितरण :


- (i) पुरस्कार के बारे में निर्णय की सूचना सभी पुरस्कार विजेताओं को पत्र द्वारा भेजी जाएगी तथा विभाग की वेबसाइट पर भी रखी जाएगी।
- (ii) पुरस्कार वितरण राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित तिथि को किया जाएगा।

7. सामान्य :

- (i) पुरस्कार के लिए पुस्तक के मूल्यांकन के बारे में कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया जाएगा।
- (ii) पुरस्कार वितरण के लिए नियत स्थान से बाहर से आए हुए पुरस्कार विजेताओं को आने-जाने के लिए रेल का द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित का किराया तथा भारत सरकार के नियमों के अनुसार दैनिक भत्ता दिया जाएगा। ठहरने की व्यवस्था स्वयं अपने खर्च पर करनी होगी।
- (iii) योजना के बारे में सूचना विभाग की वेबसाइट <http://rajbhasha.gov.in> पर भी उपलब्ध है।

8. प्रविष्टि भेजने का पता :

उप निदेशक(कार्यान्वयन),
कार्यान्वयन-2 अनुभाग, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
'बी' विंग, चतुर्थ तल, एन.डी.सी.सी.-2 भवन,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001,
फोन-011-23438143


(हरिन्द्र कुमार)

निदेशक(कार्यान्वयन)
दूरभाष -011-23438129

प्रति :-

1. राष्ट्रपति सचिवालय / उपराष्ट्रपति सचिवालय /लोकसभा सचिवालय /राज्यसभा सचिवालय/
प्रधानमंत्री कार्यालय /मंत्रिमंडल सचिवालय /निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।

2. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग -अनुरोध है कि इस योजना को अपने संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों की जानकारी में लाएं।
3. निदेशक, जन-संपर्क(गृह मंत्रालय), पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे इस योजना के संबंध में प्रेस तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में समुचित सूचना प्रचालित करें।
4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली ।
5. निदेशक, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो/केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली - अनुरोध है कि इस कार्यालय जापन को समस्त क्षेत्रीय उप निदेशकों (हिंदी शिक्षण योजना) के ध्यान में ला दें ।
6. संसदीय राजभाषा समिति, 11, तीनमूर्ति मार्ग, नई दिल्ली. ।
7. केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद्, एक्स.वाई.-68, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली.
8. राजभाषा विभाग के तकनीकी कक्ष को इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त का.जा. को विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दें ।
9. राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय - अनुरोध है कि इस कार्यालय जापन को अपने क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में आने वाले विश्वविद्यालयों, शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थानों व नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के ध्यान में ला दें ।

22-5
(हरिन्द्र कुमार)
निदेशक(कार्यान्वयन)

प्रपत्र

मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना - वर्ष 2013

1. पुरस्कार योजना का नाम*.....
2. पुस्तक का नाम
3. (i) लेखक/सहलेखक का नाम.....
(ii) पूरा पता(पिन कोड सहित).....
.....
(iii) दूरभाष..... फैक्स संख्या.....
(iv) मोबाईल फोन नं.
(v) ई-मेल
4. (i) प्रकाशक का नाम
- (ii) प्रकाशक का पूरा पता.....
- (iii) प्रकाशन का वर्ष.....
5. क्या पुस्तक को पूर्व में किसी सरकारी संगठन से पुरस्कार प्राप्त हुआ है : हां/नहीं
यदि हां, तो कृपया पूरा ब्यौरा दें
6. मैं यह प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि
(i) मैंपुत्र/पुत्री श्री भारतीय नागरिक हूँ ।
(ii) मैं केंद्र सरकार अथवा उसके अधीन कार्यालय.....में कार्यरत हूँ /से सेवानिवृत्त हुआ हूँ । (केवल इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना के लिए लागू)
(iii) पुस्तक मेरे द्वारा मूल रूप से हिंदी में लिखी गई है ।
(iv) मेरी पुस्तक को इस योजना के अंतर्गत प्रविष्ट करने से किसी अन्य व्यक्ति के कापीराइट का उल्लंघन नहीं होता है और पुस्तक में दिए गए आंकड़ों एवं तथ्यों के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी हूँ ।

मैं वचन देता/देती हूँ कि मैं हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना विनियम के उपबंधों का पालन करूँगा/करूँगी ।

स्थान:.....

दिनांक:.....

लेखक/सहलेखक के हस्ताक्षर.....

* निम्नलिखित में से कोई एक भरा जाए ।

(1) इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना अथवा (2) राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान पुरस्कार योजना
नोट 1 : जो लागू न हो, काट दें ।

नोट 2 : पुस्तक के एक से अधिक लेखक होने की स्थिति में प्रत्येक सहलेखक द्वारा उपर्युक्त प्रोफार्मा
अलग-अलग भरा जाए ।

No.12011/01/2014-OL(Impl.II)
Government of India
Ministry of Home Affairs
Department of Official Language

B Wing, 4th floor, NDCC-2 Building, Jai Singh Road
New Delhi-110001, Dated The 02 Sept., 2014.

OFFICE MEMORANDUM

Subject : Award Scheme for Original Book Writing in Official Language Hindi for the year 2013.

Books published between 01.01.2013 and 31.12.2013 are invited for the under mentioned award schemes of the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs.

1. Indira Gandhi Rajbhasha Award Scheme

Eligibility/Conditions :

- (i) The author must be a working/retired officer/employee of the Ministries/ Departments/their attached/subordinate offices, Public Sector Undertakings, Nationalised Banks/Financial and Autonomous Bodies, Universities/Training Institutes owned or controlled by the Central Government.
- (ii) Author should send his/her entry with the attestation and recommendations of the head of department/last department.

Awards : The following awards will be given under the scheme :-

First Prize	-	₹ 60,000, a Certificate and a Memento
Second Prize	-	₹ 45,000, a Certificate and a Memento
Third Prize	-	₹ 30,000, a Certificate and a Memento
Consolation Prize	-	₹ 15,000, a Certificate and a Memento

2. Rajiv Gandhi National Award Scheme on 'Gyan-Vigyan'

Subjects :

The book may be on any stream of modern Technology/Science or contemporary subjects. For example :-

- (i) Engineering, electronics, computer science, physics, biology, energy, space science, medical science, chemistry, information technology, management, psychology etc.
- (ii) Contemporary subjects such as liberalisation, globalisation, consumerism, human rights, pollution control etc.

Eligibility : Any citizen of India can take part in the Award Scheme.

Awards :

First Prize(One)	- ₹ 2,00,000, a Certificate and a Memento.
Second Prize (One)	- ₹ 1,25,000, a Certificate and a Memento.
Third Prize (One)	- ₹ 75,000, a Certificate and a Memento.
Consolation Prizes (Ten)	- ₹ 10,000, a Certificate and a Memento to each.

3. Common terms for the above schemes :

- (i) Entry can be sent for only one of the above mentioned schemes. In case of Authors being more than one, each co-author must fill the proforma separately.
- (ii) Under the scheme only those books in Hindi which are original work of the author are accepted. Translated books are not accepted.
- (iii) The books awarded previously by any government organization will not be eligible. Department of Official Language must be informed immediately if the book is awarded under any other award scheme before the declaration of awards under the subject scheme.
- (iv) Under the scheme, books published from 01.01.13 to 31.12.2013 are acceptable.
- (v) The book should be an analytical review of the subject it deals with. Books written in the form of thesis for Ph.D., poems, novel, story, play etc. or text books are not eligible .
- (vi) The author will be responsible for facts and figures given in the book and must give references wherever possible as proof.
- (vii) If a person has received a prize under the Scheme during the preceding three years, his/her book shall not be considered. However, Co-author if any, is eligible.
- (viii) The book should contain at least 100 pages.
- (ix) If the Evaluation Committee arrives at the conclusion that none of the books, sent as entries, is suitable for the award, its decision in this regard will be considered as final.
- (x) In case, a book selected for the award has more than one author, award money will be divided equally among them.

4. Procedure for sending the entries

- (i) The author should send his/her entry/entries along with proforma given at Annexure .
- (ii) Three copies of the book be sent invariably with each entry. The books will not be returned.
- (iii) An author may send only one entry in a scheme.
- (iv) All entries must reach this Department latest by **31 December 2014.** Entries received after the prescribed date shall not be entertained.

5. Evaluation Procedure of Books :

Books will be evaluated by a committee of available renowned scholars/experts .

6. Declaration and distribution of awards :

- (i) Decision regarding the award will be intimated through a letter to all the awardees and will also be placed on the Department's Website.
- (ii) Awards will be given away on the date fixed by the Department of Official Language.

7. General :

- (i) No correspondence regarding conferment of the award or procedure for selection of a book for the award will be entertained.
- (ii) Awardees coming from places other than the place fixed for distribution of awards will get 2nd A.C. rail fare for to and fro and daily allowance for stay as per rules of the Govt. of India . Arrangement for lodging to be done at own expenses.
- (iii) Information about this scheme is also available on our website <http://www.rajbhasha.gov.in> .

8. Entries may be sent at the following address :

Deputy Director (Implementation),
Implementation-2,
Department Of Official Language,
Ministry Of Home Affairs,
'B' Wing, 4th floor, NDCC-2 Building,
Jai Singh Road, New Delhi-110001.
Phone- 011-23438143

Harinder Kumar
02/01/2014
(Harinder Kumar)
Director(Impl.)
Phone : 011-23438129

Copy : as in Hindi version

PROFORMA

AWARDS SCHEME FOR ORIGINAL BOOK WRITING FOR THE YEAR 2013

1. Name of the Award Scheme*
2. Title of the book
3. (i) Name of the Author/Co-author
- (ii) Full Address(with pincode)
-
- (iii) Telephone No.Fax No.....
- (iv) Mobile Phone No.
- (v) e-mail
4. (i) Name of the publisher
- (ii) Full Address of the publisher
- (iii) Year of publishing
5. Had the book been awarded by any Government organisation previously? If yes, please give full details thereof
-
6. I certify that
 - (i) I son/daughter ofam an Indian citizen.
 - (ii) I am *working in/ retired from* the officeof central government or under the central government (applicable only for Indira Gandhi Rajbhasha Award Scheme.)
 - (iii) The book has been written originally in Hindi by me/us.
 - (iv) The copyright of any other person is not violated by entering my book in this scheme and I am responsible for the facts and figures given in the book.

I promise to abide by the provisions of the regulations of the Award Scheme for original book writing in Hindi.

Place:

Date:

Signature of Author/Co-author.....

*Fill any one scheme of the following-

- (1) Indira Gandhi Rajbhasha Award Scheme or (2) Rajiv Gandhi Rashtriya Gyan-Vigyan award scheme.

Note 1 : Strike which is not applicable.

Note 2 : In case of Authors being more than one, each co-author shall fill the above proforma separately.